



# उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई, इटावा (उ०प्र०)

Uttar Pradesh University of Medical Sciences

Saifai, Etawah, Uttar Pradesh – 206 130

पत्रांक: /यूपीयूएमएस/वित्त एवं लेखा/2022-23

दिनांक: 17 मई, 2022

627

## कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में इन्टर्नशिप कर रहे एम०बी०बी०एस० इन्टर्न को देय स्टाइपेन्ड के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है –

इन्टर्नशिप अवधि के दौरान इन्टर्नशिप स्टाइपेन्ड का भुगतान प्रतिमाह वित्त एवम् लेखा विभाग द्वारा सम्बन्धित माह के अगले माह की 07 तारीख तक कर दिया जाये। संकायाध्यक्ष (मेडिकल) का दायित्व होगा कि इन्टर्न को देय स्टाइपेन्ड राशि में सम्बन्धित माह की अनुपस्थिति के आधार पर यदि किसी प्रकार की कटौती की जानी है तो वह उक्त की सूचना सम्बन्धित माह के अगले माह की 02 तारीख तक वित्त एवम् लेखा विभाग में प्रेषित कर दें। सूचना प्राप्त न होने पर यह मानते हुए कि सभी इन्टर्न सम्बन्धित माह में उपस्थित रहे हैं एवम् किसी प्रकार की कटौती नहीं की जानी है, एम०बी०बी०एस० इन्टर्न का स्टाइपेन्ड अवमुक्त कर दिया जाए।

अनुपस्थिति के आधार पर यदि किसी इन्टर्न को देय स्टाइपेन्ड में कटौती सम्बन्धी तथ्य संकायाध्यक्ष (मेडिकल) द्वारा उक्त अवधि के बाद वित्त एवम् लेखा विभाग में प्रेषित किया जाता है, तो उसके आधार पर कटौती का समायोजन आगामी देय स्टाइपेन्ड से कर लिया जाए।

एम०बी०बी०एस० इन्टर्न को देय अन्तिम माह के स्टाइपेन्ड का भुगतान संकायाध्यक्ष (मेडिकल) की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त किया जाए।

(डा० प्रभात कुमार सिंह)  
कुलपति

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निदेशक वित्त।
2. कुलसचिव।
3. संकायाध्यक्ष (मेडिकल)।
4. संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण)।
5. चिकित्सा अधीक्षक।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. सी०ए०सी० विभाग को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा० प्रभात कुमार सिंह)  
कुलपति

dep  
20/05/22

C.O  
To Upload  
20/05/22